राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 51 वां दिवस संख्या 19

शुक्रवार,

दिनांक 8 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 4.11 को विधान सभा भवन, जयपुर, में हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर भाषण।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : श्रीमन्

मैं सन् 1968-69 के तखमीने प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आर्थिक पृष्ठभूमि

माननीय सदस्यों को याद होगा कि चालू वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने राज्य में लगातार बड़े पैमाने पर सूखे की स्थिति बनी रहने और मुद्रास्फीति के दबावों के कारण राज्य की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था। साथ ही उस अवसर पर मैंने आशा व्यक्त की थी कि इस वर्ष सामान्य वर्षा होगी जिससे कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी अर्थ-व्यवस्था को जो धक्का लगा है, उससे हम उबर सकेंगे। मुझे यह कहने में खुशी है कि मेरी यह धारणा आशा से अधिक सही निकली है और राज्य की अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण सुधार होने के आसार पैदा हो गये हैं।

पिछले वर्ष राज्य में बड़े पैमाने पर सूखे की स्थिति होने से कृषि-उत्पादन में और गिरावट आयी। कृषि-उत्पादन का सूचक अंक (1952-53 से 1955-56=100) जो 1965-66 में 107.89 था, वह 1966-67 में गिर कर 105 हो गया। हालांकि 1965-66 के मुकाबले में 1966-67 में कुल खाद्यान्नों की पैदावार का सूचक अंक 10.98 अंकों से बढ़ा है, परन्तु खाद्यान्नों के अलावा अन्य पैदावारों के सूचक अंक में 62.16 अंकों की गिरावट आयी है, जो खासकर गन्ने की कम पैदावार होने के कारण है। खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ी है जो 1965-66 में 37.77 लाख टन थी वह 1966-67 में 42.55 लाख टन हो गयी। यह बढ़ोतरी 11.17 प्रतिशत है।

कृषि की पैदावार में खासकर गैर खाद्यान्नों की फसलों में कमी होने के कारण 1967 में कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पादन में भी गिरावट आयी है और खास तौर पर चीनी, सूती कपड़े और सूती धागे के उद्योगों के उत्पादन में कमी हुई है। दूसरी तरफ सीमेंट और नमक का उत्पादन काफी बढ़ा है। सन् 1966-67 में खनिजों के उत्पादन की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। एक तरफ जहां 1965-66 के मुकाबले फ्लोराइट, लाइमस्टोन, मैंगनीज और, सिलिका, जिंक व वूलफ्रेम के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है वहां दूसरी तरफ बेराईटस आइरन ओर, लिगनाइट, माइका, और सोपस्टोन खनिजों के उत्पादन में गिरावट आई है। कुछ खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण

(श्री मथुरादास माथुर)

बढ़ोतरी हुई है जैसे मैंगेनीज ओर में 24 प्रतिशत और फ्लोराइट में 31.45 प्रतिशत।

5. कृषि उत्पादन में गिरावट होने के बावजूद राज्य की आय में (1954-55 के स्थिर मूल्यों के आधार पर) 1965-66 के मुकाबले 4.79 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। इसका असर प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ा है, जो स्थिर मूल्यों के आधार पर 2.45 प्रतिशत है और प्रति व्यक्ति आय जो 1965-66 में 245 रुपये थी वह 1966-67 में बढ़ कर 251 हो गयी। यद्यपि चालू वर्ष के राज्य की आय के प्रमाणित आंकड़े अभी संकलित किये जाने हैं, परन्तु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस वर्ष राज्य की आय और प्रति व्यक्ति आय में आशातीत वृद्धि होगी।

खेती की पैदावार में गिरावट आने के कारण–अर्थ व्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव और बढ़े और जनवरी से सितम्बर, 67 तक कीमतों में भी वृद्धि हुई। सन् 1952-53 के थोक मूल्यों का आधार यदि 100 माना जाय तो मासिक थोक मूल्यों का औसत सूचक अंक पिछले वर्ष, जनवरी में 225 से बढ़ कर सितम्बर में 259 हो गया। इस वर्ष सन्तोषजनक वर्षा होने के बाद इनमें गिरावट के आसार नजर आने लगे हैं और यह सूचक अंक जनवरी, 1968 में गिर कर 237.2 रह गया है। मण्डियों में रबी की फसल आने के बाद, मुझे विश्वास है कि कीमतों में काफी गिरावट आयेगी, जिससे हमारी अर्थ–व्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ेगा।

राज्य में लगातार वर्षा की कमी के कारण जो असाधारण हालात पैदा हो गये थे, उनकी वजह से हम खेती का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में किये गये अपने पिछले वर्षों के प्रयत्नों का पूरा–पूरा लाभ नहीं उठा पाये। तीसरी पांच साला योजना के दौरान हमने अपने प्रयत्नों से 11.77 लाख टन खाद्यान पैदा करने की अतिरिक्त क्षमता पैदा की थी। इसी तरह 1966-67 में 1.50 लाख टन खाद्यान्न पैदा करने की अतिरिक्त क्षमता पैदा हुई है। इस वर्ष 3.26 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा होने की क्षमता बढ़ने की सम्भावना है। इस प्रकार सन् 1961-62 से 1967-68 तक खाद्यान्नों के कुल अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता 16.53 लाख टन तक बढ़ जाने की सम्भावना है। खाद्यानों का उत्पादन दूसरी योजना के अन्त में कुल 44.81 लाख टन था। इसलिये यदि हम यह मानकर चलें कि इस वर्ष तक हमने अतिरिक्त खाद्यान्नों के उत्पादन की जितनी अपनी क्षमता बढ़ाई है, उसका पूरा लाभ उठा सकें तो इस वर्ष हमारा खाद्यान्नों का उत्पादन 61 लाख टन तक पहुँच जाना चाहिये हालांकि पिछले दो वर्षों के खाद्यान्नों के उत्पादन स्तर के मुकाबले इस आंकड़े में बहुत महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दिखाई देती है, फिर भी 1961-62 के 54.80 लाख टन के सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए हम इस बार निश्चय ही इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। खरीफ की फसल के खाद्यान्नों के उत्पादन के पुख्ता तखमीने अभी तक प्राप्त नहीं हैं, फिर भी जो पूर्व अनुमान प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि इस वर्ष 30.21 लाख टन खाद्यान्नों के पैदा होने की सम्भावना है, जो 1966–67 के मुकाबले 6.13 लाख टन ज्यादा है और 1961-62 में जो रिकार्ड उत्पादन हुआ था उससे भी 4.93 लाख टन ज्यादा है। अतः रबी में

(श्री मथुरादास माथुर)

भरपूर पैदावार की सम्भावना को देखते हुए हमने 61 लाख टन खाद्यान्नों का लक्ष्य प्राप्त होने का जो अनुमान लगाया है, वह अधिक आशावादी नहीं कहा जा सकता ।

कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होने से निश्चय तौर पर कृषि पर आधारित उद्योग में उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी । साथ ही ग्रामीण लोगों की आमदनी में इजाफा होने से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जिससे हाल ही में जो औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती का दौर चला है उसमें फेरबदल होगा और इन वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा । इसी तरह खाद्यान्नों की कीमतों में कमी हो जाने से शहरी जनता की खरीद करने की क्षमता भी बढ़ जावेगी और इससे भी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी—जिससे औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा । राज्य में बिजली की निरन्तर कमी से उद्योगों के विकास में बड़ी बाधा पड़ती रही है परन्तु अगले वर्ष राज्य को अधिक बिजली मुहैया होने से औद्योगिक उत्पादन अवश्य बढ़ेगा । कीमतें स्थिर होने का प्रभाव लाजमी तौर पर अर्थ-व्यवस्था पर अच्छा पड़ेगा । और पिछले वर्षों में जो असन्तुलन पैदा हो गया था उसमें भी सुधार होगा । इस तरह मुझे इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि हमने कठिन मोड़ को पार कर लिया है और अब हमारी अर्थ-व्यवस्था का भविष्य आशा व विश्वासपूर्ण है ।

अपने पिछले बजट भाषण में मैंने सूखे की स्थिति और बढ़ती कीमतों के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव का जिक्र किया था, उसको फिर यहां दोहराकर मैं सदन का कीमती वक्त जाया करना नहीं चाहता । यहां मैं केवल उन दो महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनका सरकार की कठिन वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है । आप मानेंगे कि मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार को उनके मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि करनी पड़ी । चौथे फाइनेंस कमीशन के एवार्ड के बाद राज्य सरकार ने मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी के जो आदेश दिये हैं, केवल उसी से राज्य सरकार की देनदारी इस वर्ष 12.66 करोड़ रुपये बढ़ी है और अगले वित्तीय वर्ष में यह देनदारी लगभग 1[illegible]6 करोड़ की हो जायेगी । इतना बड़ा खर्चा अपने आप में राज्य के साधनों पर बहुत बड़ा भार है, जो कि हमारे वश के बाहर परिस्थितियों के फलस्वरूप है । केवल मूल्यों के सूचक अंक में महत्वपूर्ण गिरावट आने पर ही इससे हमें राहत मिल सकती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित पांचवां फाइनेंस कमीशन तो 1969-70 से इस देनदारी के लिये हमारी सहायता करेगा परन्तु अगले वर्ष तो इस देनदारी का सारा भार राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा ।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण, जिससे हमारी मौजूदा वित्तीय कठिनाइयां बढ़ी हैं, वह है बजट के घाटे को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से लिये गये एडहॉक ऋण के चुकारे की हमारी देयता । बजट में यह घाटा मुख्य रूप से सूखे की स्थिति के होने के कारण हुई राजस्व आय में कमी और कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप मंहगाई भत्ते के रूप में राज्य सरकार की बढ़ती देयता के कारण

Page No. 4

(श्री मथुरादास माथुर)

हुआ है। सरकार द्वारा अब तक कुल एडहॉक रूप में 61 15 करोड़ का ऋण लिया गया है। इसमें से इस वर्ष के अन्त तक सम्भवतः 21.29 करोड़ का ऋण चुकाया जा सकेगा और इस प्रकार 39.86 करोड़ बाकी रह जायेगा। इसके अलावा इस वर्ष के घाटे को पूरा करने के लिये हमें शायद एक दूसरा लगभग 18 करोड़ का एडहॉक ऋण और लेना पड़े, जिससे हमारी 1968-69 में कुल ऋण की देनदारी 57.86 करोड़ तक बढ़ जायेगी। इन ऋणों के मूल और ब्याज के चुकाने का, राज्य सरकार के साधनों की स्थिति पर बहुत भारी असर पड़ेगा। इसलिये जहां एक तरफ भविष्य में राज्य की अर्थ-व्यवस्था आशाजनक दिखाई देती है वहां दूसरी तरफ अगले वर्ष राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव व खिंचाव हमें लगातार अनुभव होते रहेंगे।

पब्लिक डेट

राज्य सरकार की 31 मार्च, 1968 को कुल देनदारियां लगभग 492.30 करोड़ होंगी जिसमें 447.62 करोड़ के सार्वजनिक ऋण भी सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश ऋण भारत सरकार से लिया हुआ है, जो लगभग 378.81 करोड़ है। इन देनदारियों के मुकाबले में राज्य सरकार की परिसम्पत्ति (असेट्स) कुल 470.90 करोड़ है इसमें पुरानी रियासतों की अचल सम्पत्ति की कीमत शामिल नहीं है, जिसकी कीमत आंकी जाय तो वह देनदारियों और परिसम्पत्ति के बीच के 21.40 करोड़ के अन्तर से कहीं ज्यादा है।

विकास के मौजूदा स्तर

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की चर्चा करने से पहले मैं यहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण विकास कार्यों के स्तर के बारे में संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखना चाहूंगा। 1951-52 में पहली योजना आरम्भ होने के वक्त राज्य में जितनी भूमि सिंचित होती थी, उसके मुकाबले अब 60 प्रतिशत अधिक रकबे में सिंचाई होने लगी है। इसी तरह पहली योजना के आरम्भ के वक्त राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2.6 यूनिट (किलोवाट) के मुकाबले में अब प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 21 यूनिट (किलोवाट) हो जायगी। वर्ष के अन्त तक 1,863 बस्तियों में बिजली पहुँचा दी जायेगी और 14,549 कुओं को बिजली दे दी जायेगी। प्रति सौ वर्गमील क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई 1950-51 में 9 5 मील के मुकाबले में इस वर्ष 14 मील तक पहुँच जायेगी। हमने अब तक राज्य के सभी जिले और तहसीलों के मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया है और राज्य में 4.000 और इससे ऊपर की आबादी वाले गांव भी सड़कों से जुड़े हुए हैं। राज्य के 300 से अधिक आबादी वाले लगभग सभी गांवों में प्राईमरी स्कूल खोले जा चुके हैं और सभी क्षेत्रों में पहाड़ो एवं रेतीले क्षेत्रों को इक्की-दुक्की जगहों को छोड़ कर 1½ मील की दूरी के घेरे में प्राईमरी शिक्षा की सुविधाएं मुहैया कर दी गयी है। इसी तरह तीन हजार की आबादी वाले हर गांव में मिडिल स्कूल स्थापित कर दिये गये हैं। गुढामालानी, शेरगढ़ और सिंधरी को छोड़ कर अन्य सभी पंचायत समितियों में

(श्री मथुरादास माथुर)

एक या एक से अधिक हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जा चुके हैं। कालेज शिक्षा की सुविधाएं केवल जैसलमेर को छोड़ अन्य सब जिलों में मुहैया करदी गयी हैं। राज्य में 1950-51 में जहां केवल 27 कालेज थे अब उसके मुकाबले में कालेजों की मौजूदा संख्या 83 हो गयी है। अब तक राज्य में 1,325 चिकित्सालय और 1,632 आयुर्वेदिक औषधालय कायम किये जा चुके हैं। इस तरह राज्य में ढाई हजार या इससे अधिक आबादी वाले हर गांव में शफाखाना या आयुर्वेदिक औषधालय की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं। जहां तक प्रति हजार व्यक्ति अस्पतालों में रोगीशैय्या की सुविधा का सवाल है, राजस्थान इस सम्बन्ध में अभी भी राष्ट्रीय औसत से आगे है। राज्य में पांच मेडिकल कालेज खोले जाने और उनमें भर्ती की संख्या बढ़ायी जाने के फलस्वरूप अभी जो राज्य में डाक्टरों की कमी अनुभव की जा रही हैं, वह कमी 1970-71 तक दूर हो जायेगी।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि विकास के सम्बन्ध में ऊपर बतायी गयी उपलब्धियों से यह साबित हो जाता है कि योजनाबद्ध विकास के जरिये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में हमने महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं।

संशोधित अनुमान, 1967–68

राजस्व खाता प्राप्तियां

सन् 1967-68 के बजट में राजस्व से होने वाली प्राप्तियों का अनुमान 115 करोड़ 65 लाख रखा गया था, परन्तु संशोधित अनुमानों के अनुसार अब यह रकम 127 करोड़ 42 लाख है। इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के ऋण के ब्याज की देनदारी के चुकारे के सम्बन्ध में 2 करोड़ 73 लाख की रकम मिलने की सम्भावना है; अकाल सहायता कार्यों के लिये वित्तीय व्यवस्था करने के लिये प्राप्त ऋण का कुछ भाग अनुदान के रूप में परिवर्तित किये जाने की आशा है (4 करोड़ 75 लाख); म्युनिसिपैलिटियों में पानी की बकाया की रकम जो बट्टे खाते लिख दी गयी है उनका जमा खर्च किया गया है (4 करोड़ 7 लाख) और केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये अधिक प्राप्तियां (1 करोड़ 30 लाख) हैं। प्रोजेक्ट क्षेत्रों में जमीन की बिक्री और भू-सुधार लेवी की मदों में कम आमद (5 करोड़ 19 लाख) होने के बावजूद भू-राजस्व, बिक्री कर आदि में अधिक वसूली होने के कारण प्राप्तियों में बढ़ोतरी हुई है।

व्यय

इसी तरह राजस्व खाते के व्यय में भी करीब उतनी ही बढ़ोतरी हुई है। बजट में राजस्व खाते से होने वाले व्यय का अनुमान 127 करोड़ 9 लाख था, जो संशोधित अनुमान के कारण अब 138 करोड़ 6 लाख होगा। प्राप्तियों की तरह ही व्यय में बढ़ोतरी मुख्यतः राजस्थान कैनाल के ऋण के पेटे ब्याज के जमा-खर्च म्युनिसिपैलिटियों की बकाया रकम को बट्टे खाते में डालने तथा सार्वजनिक खाते में प्रोजेक्ट क्षेत्रों से जमीन के बेचान की कम रकम ट्रान्सफर होने के कारण हुई है। व्यय में अन्य बढ़ोतरी, केन्द्र

(श्री मथुरादास माथुर)

संचालित योजनाओं में अधिक खर्च (1 करोड़ 22 लाख); कर्मचारियों के रिटायर होने की आयु में रद्दोबदल से पेन्शन आदि पर अधिक खर्च (79 लाख); बढ़ी हुई दरों से मंहगाई भत्ते का चुकारा (3 करोड़ 88 लाख); ऋणों पर ब्याज की अधिक अदायगी (83 लाख) और चिकित्सा व शिक्षा आदि के मदों में हुए अधिक खर्च के कारण हुई है।

पूंजी खाता

बजट में पूंजीगत खर्च का मूल तखमीना 21 करोड़ 46 लाख था जो संशोधित अनुमानों के अनुसार 24 करोड़ 19 लाख हो गया। इसमें 2 करोड़ 73 लाख की बढ़ोतरी खास तौर पर म्युनिसिपैलिटी के वाटर वर्क्स सरकार के अधीन ले लेने के कारण, उनकी कीमत का जमा खर्च करने के फलस्वरूप हुई है।

हालांकि राजस्व खाते की स्थिति कुल मिला कर समान-सी रही है, और पूंजी खाते में बढ़ोतरी कुछ जमा खर्च करने के कारण हुई है, परन्तु ज्यादा फर्क पब्लिक डेट की मद में हुआ है, जिसका स्पष्टीकरण जरूरी है। इस मद में सम्भवतः कुल प्राप्तियों में लगभग 15 करोड़ 88 लाख की कमी रहेगी जिसके मुख्य कारण यह हैं:–– (1) रिजर्व बैंक की सलाह के अनुसार खुले बाजार से इस वर्ष कम सार्वजनिक ऋण (90 लाख) लिया गया, (2) अकाल के सम्बन्ध में ऋणों का कुछ भाग अनुदानों में परिवर्तित होने की सम्भावना है (3) राजस्थान नहर के ऋणों के ब्याज के चुकारे के लिये केन्द्रीय सहायता ऋण के बजाय अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, (4) योजना की स्कीमों पर खर्च के लिये प्राप्त वेज एण्ड मीन्स एडवान्स का रिफण्ड किया गया है, (1 करोड़ 1 लाख) जिसका पिछले वर्ष जमा खर्च नहीं हो पाया था, (5) बीज और खाद के वितरण के लिये कम सहायता की प्राप्ति (4 करोड़ 82 लाख)। उक्त कारणों के अलावा बैंकों को भी, केन्द्रीय सरकार से योजना के लिये प्राप्त सहायता व एडहॉक ऋणों के रूप में प्राप्त रकम से अधिक राशि का चुकारा करना पड़ा है।

1967-68 की स्थिति

आपको याद होगा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इस वर्ष के बजट के तखमीनों में 1 करोड़ 58 लाख का सरप्लस दिखाया गया था, जिसमें से योजना का प्रावधान बढ़ाने के लिये 1 करोड़ 50 लाख लगाने का इरादा था। परन्तु बाद में कुछ प्रस्तावित करों को वापिस ले लेने के फलस्वरूप बजट में 53 लाख का घाटा हो गया। तब से हमारे साधनों की स्थिति में काफी गिरावट आयी है। योजना के खर्च में कमी और बकाया की वसूली के लिये प्रयत्न करने पर भी संशोधित अनुमानों में इस वर्ष लगभग 18 करोड़ का घाटा रहेगा। यहां मैं माननीय सदस्यों को संक्षेप में उन मुख्य कारणों से अवगत कराना चाहूंगा जिनके फलस्वरूप हमारी वित्तीय स्थिति में गिरावट आयी है:––

(1) भूमि की बिक्री और बैटरमेण्ड लेवी:––बजट में इस मद से 6 करोड़ 69 लाख रुपया प्राप्त होने का अनुमान था, जिसमें से 4 करोड़ 75 लाख रुपये राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमि की बिक्री से प्राप्त होने का अनुमान था। संशोधित अनुमानों के अनुसार अब इस मद से केवल 1 करोड़ 50 लाख रुपया प्राप्त

(श्री मथुरादास माथुर)

होने की सम्भावना है, जिससे हमारे साधनों में 5 करोड 19 लाख की गिरावट आयी है। पहिले तो कोलोनाइजेशन के नियमों को अन्तिम रूप देने में हुई देरी के कारण राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीन की नीलामी करने में देरी हुई। नीलामी इस वर्ष 15 फरवरी से शुरू की जाने वाली थी, परन्तु बाद में भूमि की नीलामी को स्थगित करना पड़ा और इसलिये इस वर्ष इस जरिये से राज्य को कोई आमदनी नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही भाखरा और चम्बल तथा मण्डियों में जमीन की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों में भी कुछ कमी हुई है।

(2) मंहगाई भत्ता–राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर मंहगाई भत्ता देने के सिद्धान्त को राज्य सरकार ने पिछले वर्ष ही मान लिया था। इसके बाद गजेन्द्रगडकर कमीशन की सिफारिशों को उसी सिद्धान्त के अनुसार लागू करना पड़ा जिससे मूल्य सूचक अंक में 10 पाइन्ट की वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते की दरों में यथोचित बढ़ोतरी करना आवश्यक हो गया। इस साल मंहगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा से बजट पर 3 करोड़ 88 लाख रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है।

(3) अल्पकालीन ऋणों की वसूली:––बजट के तखमीने में अल्पकालीन ऋण से 7 करोड़ की वसूली होने की आशा थी। अब इस सीगे में केवल 2 करोड़ 84 लाख रुपये की वसूली होने का ही अनुमान है, जिससे इस वर्ष साधनों की स्थिति में 4 करोड़ 16 लाख रुपयों की गिरावट आयेगी। राज्य सरकार अल्पकालीन ऋण की वसूली के बारे में काफी चिन्तित है और खाद की खपत में होने वाली वृद्धि के कारण जिस बड़े पैमाने पर लेन–देन का कार्य हो रहा है उसको देखते हुए राज्य सरकार बकाया की वसूली शीघ्र करने की दिशा में निश्चित कदम उठाने पर विचार कर रही है ताकि इसकी वजह से राज्य के साधनों पर अकारण बोझ न पड़े। मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष स्थिति में बहुत कुछ सुधार किया जा सकेगा।

(4) आबकारी कर:––गुजरात राज्य की सीमा पर 25 किलोमीटर की पट्टी में पूर्ण रूप से मद्यनिषेध लागू किये जाने के फलस्वरूप और शराब बनाने के लिये आवश्यक कच्चे माल की कमी होने के कारण आबकारी कर से राज्य को होने वाली आमद में 1 करोड़ 50 लाख की कमी आयेगी।

(5) सार्वजनिक ऋण––बजट के तखमीने तैयार करते वक्त यह आशा की गयी थी कि इस वर्ष 5 करोड़ का सार्वजनिक ऋण लिया जायेगा। परन्तु रिजर्व बैंक ने देश के आर्थिक हालात देखते हुए केवल 4 करोड़ का ऋण लेने की ही अनुमति दी, जिसके मुकाबले 4 करोड़ 10 लाख का ऋण इकट्ठा हुआ। इस प्रकार बजट के तखमीने के मुकाबले में इसमें भी 90 लाख की कम आमद हुई।

इस तरह इस वर्ष जो 18 करोड़ की सम्भावित कमी रहेगी उसकी पूर्ति उतनी ही रकम भारत सरकार से एडहॉक ऋण लेकर पूरी की जायेगी।

सालाना योजना 1967–68

माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस वर्ष के बजट के प्रस्तावों में सालाना योजना के लिये 44 करोड़ 50 लाख का प्रावधान

Page No. 8

(श्री मथुरादास माथुर)

किया गया था, जिसके लिये वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार से की जानी थी :—

	करोड़ रुपयों में
1—केन्द्रीय सहायता	39.00
2—शहरी जलप्रदाय व बिजली की स्कीमों के लिये लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन से ऋण	4.00
3—राज्य द्वारा जुटाये जाने वाले साधन	1.50

बाद में योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों ने राज्य के साधनों की स्थिति और सालाना योजना के प्रस्तावों की जांच की और उन्होंने सलाह दी कि चूंकि सालाना योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा साधन जुटाना सम्भव नहीं होगा अतः योजना पर खर्च 43 करोड़ रुपये तक ही रखा जाय। इधर राज्य सरकार को भी कठिन वित्तीय स्थिति का सामना करना पड़ा। राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमि की बिक्री में देरी होने, राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि करने और कुछ मदों में प्राप्तियां कम होने से, यह स्थिति उत्पन्न होगई। ऐसी सूरत में राज्य सरकार को भी योजना आयोग द्वारा सुझाई गई धनराशि के मुताबिक योजना के आकार को छोटा करने पर बाध्य होना पड़ा और इस तरह विभिन्न मदों के प्रावधानों में कुछ फेरबदल करके योजना पर व्यय होने वाली कुल धनराशि को 43 करोड़ तक सीमित किया गया। इसके अलावा लाइफ इन्श्योरेन्स कोरपोरेशन द्वारा जो 4 करोड़ का ऋण उपलब्ध होने की उम्मीद थी, उसके मुकाबले में अब तक केवल 1 करोड़ रुपया राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के लिए प्राप्त हो सका। इसलिए इस वर्ष योजना पर केवल 40 करोड़ रुपया व्यय होने की सम्भावना है।

बजट तखमीना 1968-69

मौजूदा करों के स्तर के अनुसार अगले वर्ष के बजट के तखमीने इस प्रकार रखे गये हैं:—

	करोड़ रुपयों में
राजस्व से प्राप्तियां	127.78
राजस्व व्यय	141.87
कुल राजस्व खाता	—14.09

राजस्व खाते में घाटे का मूल कारण योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिए निर्धारित प्रणाली है। सहायता का पैटर्न यह मानकर बनाया गया है कि हर राज्य में राजस्व खाते में सरप्लस होगा और उतनी रकम राज्य सरकार योजना के साधनों में लगायेगी और इस प्रकार योजना के लिए सहायता में अनुदान का भाग कम रखा गया है। यदि कोई राज्य अपनी योजना के लिए साधन जुटाने में असमर्थ रहता है तो उसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होता है कि उसे योजना का राजस्व व्यय केन्द्र द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता से वहन करना पड़ता है। इससे स्वाभाविक तौर पर राजस्व खाते का रूप विकृत हो जाता है। सन् 1968-69 में योजना के अन्तर्गत राजस्व व्यय 10 करोड़ 71 लाख कूता गया है जब कि अनुदान सहायता केवल 4 करोड़

Page No. 9

(श्री मथुरादास माथुर)

78 लाख होगी, इसके कारण राजस्व खाते में 5 करोड़ 92 लाख का घाटा होगा।

राजस्व खाते में घाटे का एक दूसरा कारण ऋणों के परिशोधन (amortisation) के लिए पूंजी खाते में 4 करोड़ 82 लाख की रकम का ट्रान्सफर है, जो केवल नाममात्र का व्यय है। अगर हम इन दो मुद्दों पर होने वाले व्यय को छोड़ दें तो राजस्व खाते में असली घाटा केवल 3 करोड़ 34 लाख रह जाता है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि ऋणों के ब्याज तथा मंहगाई भत्ते के कारण भारी देनदारियों को देखते हुए, यह घाटा कोई ज्यादा नहीं है। राजस्व खाते की स्थिति में, अगले फाइनेंस कमीशन के एवार्ड आने के बाद ही 1969-70 से सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है।

पूंजी खाते में व्यय:–सन् 1968-69 में पूंजी खाते में कुल व्यय का तखमीना 15 करोड़ 92 लाख रखा गया है, जो खास तौर पर योजना और केन्द्र संचालित स्कीमों से सम्बन्धित है।

पब्लिक डेट के मद में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों के चुकारे के निमित्त बजट में 26 करोड़ 53 लाख का प्रावधान किया गया है। इसमें 4 करोड़ 45 लाख की वह रकम भी शामिल है, जो एडहाक ऋ की अदायगी के लिए है, जिसके संबंध में मैं आगे जिक्र करूंगा।

पब्लिक डेट:—राज्य सरकार द्वारा 1956 में जारी किए गए पहले विकास ऋण का अगले वर्ष चुकारा किया जाना है और इस देनदारी को पूरा करने के उद्देश्य से बजट के इन तखमीनों में 3 करोड़ 14 लाख की रकम रखी गई है। अगले वर्ष राज्य सरकार द्वारा पब्लिक से 6 करोड़ का ऋण लेने की तजवीज है यह इस उम्मीद पर कि बहुत से लोग जिन्होंने अभी राज्य के ऋण में रुपया लगा रखा है, वे पुनः राज्य द्वारा जारी किए जाने वाले नये ऋण में उसी रकम को दुबारा लगा देंगे। इस प्रकार देखा जाय तो असल में नया ऋण केवल 2 करोड़ 86 लाख का ही होगा।

अल्प बचत:–राज्य सरकार ने अल्प बचत की सिक्योरिटीज में अधिक रुपया लगाने के लिये प्रोत्साहन देने के सिलसिले में कई कदम उठाये हैं। अनुमान लगाया गया था कि इस वर्ष राज्य सरकार को अल्प बचत में इकट्ठे किये गये धन में से उसके हिस्से में 2 करोड़ 75 लाख रुपये का ऋण मिलेगा और अगले वर्ष के अनुमानों में भी वह रकम इतनी ही रखी गयी है। बैंक के ब्याज की दरों में कमी और उप-प्रधान मन्त्री के बजट भाषण में अल्प बचत में लगाये गये धन पर अधिक ब्याज मिलने की घोषणा के फलस्वरूप 'अल्प बचत आन्दोलन' को गति मिलेगी। फिर भी मैंने इस सम्बन्ध में सावधानी बरतने की खातिर अल्प बचत में प्राप्त होने वाली रकम का तखमीना 2 करोड़ 75 लाख ही रखा है। इन सब अनुमानों और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया और लाइफ इन्श्योरेन्स कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया से होने वाली प्राप्तियों और चुकारे को मद्दे नजर

Page No. 10

(श्री मथुरादास माथुर)

रखते हुए पब्लिक डेट में कुल 18 करोड़ 9 लाख का इजाफा होगा।

ऋण व अग्रिम--इस बजट के अनुमानों में ऋण देने के लिये 26 करोड़ 95 लाख का प्रावधान किया गया है। और खास तौर से पंचायत समितियों से जिनका ऋण अवधि पार हो चुका है अधिक वसूली की आशा रखते हुए शुद्ध 6 करोड़ 39 लाख के ऋण तकसीम होने की सम्भावना है।

सार्वजनिक लेखा:--प्रोविडेण्ड फण्ड, इन्श्योरेन्स फण्ड, सिंकिंग फण्ड आदि जमा खातों में जो कुल वसूलियां होंगी उनसे सार्वजनिक लेखा के क्रेडिट बैलेंस में 17 करोड़ 68 लाख की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

'पब्लिक डेट खाते में कुल 18 करोड़ 9 लाख और सार्वजनिक लेखे में कुल 17 करोड़ 68 लाख जमा होगा। पूंजी खाते में 15 करोड़ 92 लाख का खर्चा होगा। सरकार के उधार व अग्रिम खाते का शुद्ध आंकड़ा 6 करोड़ 39 लाख होगा। इस प्रकार पूंजी खाते में 13 करोड़ 46 लाख का सरप्लस होगा।

मैंने ऊपर राजस्व व पूंजी खातों के जो तखमीने बताये हैं वे दो बातों पर आधारित हैं :--

(1) चौथे फाइनेन्स कमीशन ने सिफारिश की थी कि सार्वजनिक ऋण के परिशोधन के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को यथोचित अनुदान दिया जाना चाहिये। वित्त मन्त्रालय ने राजस्थान के लिये यह अतिरिक्त अनुदान 1 करोड़ 42 लाख रुपया प्रति वर्ष निर्धारित किया है, परन्तु उन्होंने यह सुझाव दिया है कि योजना के लिये केन्द्रीय सहायता में इसका समावेश होना चाहिये। लेकिन राज्य सरकार का यह मानना है कि असल में यह रकम केन्द्र द्वारा योजना के लिये सहायता के अतिरिक्त मिलनी चाहिये। हम यह आशा रख कर चले हैं कि हमारे इस नजरिये को भारत सरकार मन्जूर कर लेगी और इसलिये 1966-67 से 1968-69 के तीन वर्षों की यह ग्रान्ट जो 4 करोड़ 26 लाख होती है, अगले वर्ष की प्राप्तियों में मान ली गयी हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार में एक ऐसी स्कीम पर विचार चल रहा है जिसके अनुसार सब प्रकार के ऋणों को एक मुश्त करके उनके चुकारे की अवधि और व्याज की दरों में एकरूपता लाई जा सके ताकि राज्यों पर ऋण को चुकाने का जो भार है, उसे कुछ हल्का किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिया है कि बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं के लिये दिये गये ऋण का चुकारा 25 वर्ष की अवधि में किया जाना चाहिये और अन्य प्रकार के सभी ऋणों के चुकारे की अवधि 13 वर्ष रखी जानी चाहिये, इनमें एडहॉक ऋण, वेज एण्ड मीन्स अग्रिम व अल्पकालीन ऋण आदि सम्मिलित नहीं हैं। हमने वित्त मन्त्रालय से कहा है कि एडहॉक ऋण के सम्बन्ध में भी चुकारे की अवधि दुबारा तय की जानी चाहिये, ताकि राज्य सरकार पर इनके चुकारे का भार कुछ कम हो, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। बजट के तखमीने बनाते समय

(श्री मथुरादास माथुर)

हम यह मान कर चले हैं कि एडहाक ऋण का चुकारा भी हमें अन्य ऋणों की तरह 13 सालाना किश्तों में ही अदा करना होगा। और इसलिये एडहाक ऋण के पेटे जो 1968-69 में लगभग 58 करोड़ है, अगले वर्ष चुकारे की किश्त के लिये केवल 4 करोड़ 45 लाख का ही प्रावधान किया गया है।

करों की वर्तमान दरों पर बजट में रोजस्व खाते में 14 करोड़ 9 लाख का घाटा है और पूंजी खाते में 13 करोड़ 46 लाख का सरप्लस है। इस प्रकार कुल मिला कर 63 लाख रुपये का घाटा है।

सालाना योजना 1968-69: 1968-69 की वित्तीय स्थिति का जो मैंने ब्योरा दिया है उससे यह साफ है कि राज्य सरकार अगली सालाना योजना के लिये साधन जुटाने में असमर्थ है। इसलिये यह विचार किया गया था कि अगले वर्ष की योजना का आकार केन्द्रीय सहायता और लाइफ इन्श्योरेन्स कोरपोरेशन से मिलने वाले ऋण तक ही सीमित रखना होगा। उप-प्रधान मन्त्री ने अभी अपने बजट भाषण में कुछ अतिरिक्त करों की घोषणा की है, जिससे राज्यों को 15 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय होगी और इसमें से राजस्थान को लगभग 75 लाख रुपया मिलने की सम्भावना है। उप-प्रधान मन्त्री ने यह भी आशा व्यक्त की है कि इस तरह से प्राप्त अतिरिक्त साधनों का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा देहातों में बिजली लगाने के कार्यों और छोटे सिंचाई के कार्यों को बढ़ाने के लिये किया जायेगा। इसके अनुसार हम यह मान कर चलते हैं कि हमें अपनी योजना के लिये 75 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी और परिणाम स्वरूप ग्रामीण विद्युतिकरण और छोटे सिंचाई कार्यों के लिए जितना प्रावधान किया था, अब उनमें बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है।

योजना आयोग द्वारा अगले वर्ष की योजना के लिये 37 करोड़ 33 लाख रुपया हमें केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलेगा। और हम यह मान कर चलते हैं कि बिजली और जल प्रदाय स्कीमों के लिये लाइफ इन्श्योरेन्स कोरपोरेशन से हमें लगभग 2 करोड़ रुपया मिल सकेगा। इसलिये राज्य सरकार ने 1968-69 के लिये 40 करोड़ 8 लाख की सालाना योजना मन्जूर की है।

प्रधान मन्त्री के बजट भाषण में की गयी यह घोषणा भी स्वागत योग्य व उत्साहवर्धक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्यों की चुनीदा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य को गति देने के उद्देश्य से अतिरिक्त सहायता के लिये 25 करोड़ रुपया अलग रखा जा रहा है। हालांकि इस अतिरिक्त सहायता का अभी वितरण तय नहीं हुआ है, फिर भी मुझे विश्वास है कि लगभग 7 करोड़ रुपया हमें राजस्थान नहर एवं पोंग बांध के लिये मिल सकेगा। इससे हमें इन दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य को आगे गति देने में मदद मिलेगी।

योजना के वित्तीय साधनों के लिये कनवेन्शनल जरियों से मिलने वाली सहायता घट जाने से और राज्य सरकार द्वारा योजना के लिये उचित साधन जुटाने की असमर्थता को मद्देनजर रखते हुए, तथा विकास के प्रयत्नों में ढील न आने देने के उद्देश्य से हमें दूसरे जरियों से वित्तीय साधन

(श्री मथुरादास माथुर)

प्राप्त करने की सम्भावनाओं को ढूंढने के प्रयत्न करने पड़े हैं। माननीय सदस्यों को विदित है कि व्यापारिक बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण की स्कीम के तहत यह तय किया गया है कि भविष्य में व्यापारिक बैंक कृषि विकास के लिये अधिकाधिक योग देंगे और वे किसानों को बड़े पैमाने पर रकम उधार देने की सुविधाएं मुहैया करेंगे। इस ज़रिये से हमारे राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिये हमने कई कदम उठाये हैं। निकट भविष्य में मैं एक ऐसी स्कीम को अन्तिम रूप देने की आशा करता हूं कि जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल और प्रस्तावित एग्रो-इण्डस्ट्रीज कोरपोरेशन को 4,000 कुओं में बिजली पहुंचाने और पम्पिंग सेट लगाने की उनकी मिली-जुली स्कीम के लिये व्यापारिक बैंकों से कम से कम तीन करोड़ का ऋण मिल सकेगा। इस ऋण में से 2 करोड़ तो विद्युत मण्डल को मिलने की सम्भावना है और एक करोड़ एग्रो-इण्डस्ट्रीज कोरपोरेशन को, जिसकी स्थापना शीघ्र ही की जायेगी, और जिसका जिक्र मैं अपने भाषण में आगे करूंगा।

माननीय सदस्यों को सम्भवतः ज्ञात होगा कि कुछ अन्य राज्यों में खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कोरपोरेशन की सहायता से, छोटे सिंचाई के कार्य, भू-संरक्षण और भू-विकास के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हाथ में लिये गये हैं। इस प्रोग्राम के तहत अपने राज्य में भी कोटा जिले की इटावा पंचायत समिति में भू-विकास कार्य करने की एक स्कीम चल रही है। भविष्य में इस संस्था से अधिकाधिक सहायता प्राप्त करने की हमारी कोशिश रहेगी और इस दृष्टि से हमने कृषि विभाग में एक विशेष शाखा इस कार्य को गति देने के लिये खोलने का निश्चय किया है। इस शाखा का खास दायित्व यह होगा कि वह ऐसी स्कीमें तैयार करे जिनके लिये एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कोरपोरेशन से सहायता प्राप्त की जा सके।

लोगों की जुआ खेलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को उत्पादन कार्यों की तरफ लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य में लाटरी स्कीम चालू करने का निश्चय किया है। सरकार ने इसके लिये एक अलग विभाग भी कायम कर दिया है। राज्य सरकार का इरादा क्षेत्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर लाटरी चलाने का है। इन लाटरीज से होने वाले कुल लाभ का उपयोग विकास कार्य-क्रमों और बच्चों के कल्याण कार्यों के लिये किया जायेगा। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार योजना के अन्तर्गत कार्यों के अलावा अन्य विकास के कार्य-क्रमों पर व्यय करने के लिये अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकेगा।

ऊपर बताये हुए साधनों से अगले वित्तीय वर्ष में योजना कार्यों पर हम कुल मिला कर लगभग 50 करोड़ रुपये का व्यय करने की स्थिति में होंगे।

कृषि कार्यक्रमः-कृषि के क्षेत्र में मोटे तौर पर इस नीति को जारी रखा जायेगा कि चुने हुए क्षेत्रों में कृषि विकास के अधिकाधिक प्रयत्न किये जायं, जहां सिंचाई की निश्चित व्यवस्था है और वर्षा भी अच्छी होती है। इस उद्देश्य

(श्री मथुरादास माथुर)

को मद्देनज़र रखते हुए 3 जिलों के 11 अतिरिक्त खण्डों को सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जायेगा। अगली खरीफ तक अधिक पैदावार की किस्मों वाले खाद्यान्नों का रकबा इस वर्ष के सम्भावित 94 हजार एकड़ से बढ़ा कर 6 लाख 35 हजार एकड़ करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार मेक्सिकन गेहूं की पैदावार का क्षेत्र जो इस वर्ष 3 लाख एकड़ है, वह 1968-69 में 5 लाख एकड़ तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। अधिक उपज वाली किस्मों के बीज के उत्पादन की भी व्यवस्था की गई है और अगले वर्ष तक इस सम्बन्ध में हम लगभग आत्मनिर्भर हो जायेंगे। राजस्थान में छोटी सिंचाई के कार्यों के लिये भू-गर्भ जल-स्रोतों का उपयोग करने के लिए, पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को सुदृढ़ बनाया गया है। इस वर्ष बोर्ड की मशीनरी में इजाफा करने के लिए 4 नये रोटरी ड्रिलिंग रिगज़ और 4 परकूसन ड्रिलिंग रिगज़ और बढ़ा दिये जायेंगे, जिससे कि ग्राउन्ड वाटर बोर्ड अगले वर्ष बड़े पैमाने पर कार्य हाथ में ले सकेगा। बोर्ड का इरादा अगले वर्ष 16,650 कुओं को गहरा करने, 150 कुओं की खुदाई करने और 150 ट्यूब वैल का निर्माण करने का है जिससे 66,800 एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। छोटी सिंचाई की ऐसी स्कीमों पर, जिनको सिंचाई विभाग कार्यान्वित करता है, प्रावधान बढ़ाया गया है ताकि चालू स्कीमों को जल्दी पूरा किया जा सके और इन योजनाओं में जो रुपया लगाया जा चुका है उसका पूरा लाभ उठाया जा सके। पौध संरक्षण की व्यवस्था में और सुधार किया जायेगा और इसमें 6 यूनिट और बढ़ाये जायेंगे, मौजूदा यूनिटों को शक्तिशाली बनाया जायेगा और हवाई कार्य-क्रमों को तीव्र किया जायेगा। कृषि के क्षेत्र में प्रस्तावित प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप, यह आशा की जाती है कि 5 लाख 48 हजार टन खाद्यान्नों, 30 हजार टन तिलहन, 27 हजार टन गन्ना (गुड़) और 39 हजार रूई की गांठों की पैदावार के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पैदा की जावेगी।

सिंचाई

योजना के लिए कुल निर्धारित धन-राशि का 57 प्रतिशत भाग सिंचाई एवं बिजली की योजनाओं पर खर्च करने के लिए रखा गया है, जिससे साबित होता है कि राज्य सरकार इन कार्यों को उच्च प्राथमिकता देती है। बड़े और मध्यम सिंचाई कार्यों के जरिये सिंचित क्षेत्र सन् 1967-68 में 13 लाख 98 हजार एकड़ था, वह बढ़ कर 1968-69 में 15 लाख 10 हजार एकड़ हो जाने की सम्भावना है। भरतपुर के इलाके में बारम्बार आने वाली बाढ़ को रोकने के सिलसिले में सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार एक स्कीम पर विचार कर रही है, जिससे कि कामां पहाड़ी एवं गोवर्द्धन नाले से पानी की निकासी बढ़ाई जा सके। इन स्कीमों पर कार्य आरम्भ करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है। पिछले दो वर्षों से हम लगातार चालू स्कीमों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और इस नीति के परिणामस्वरूप करीब करीब सभी मध्यम सिंचाई योजनाओं पर कार्य या तो पूरा हो चुका है या पूरा होने के करीब है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि अब कुछ नयी स्कीमों पर कार्य किया जाय। अगले वर्ष

Page No. 14

(श्री मथुरादास माथुर)

केन्द्रीय वाटर एण्ड पावर कमीशन द्वारा तकनिकी स्वीकृति प्राप्त होते ही सेड डाइवरशन, जालम, जेतपुरा और बनास फीडर पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिये इस योजना पर कार्य को गति देने और इस क्षेत्र के विकास के लिये सभी आवश्यक प्रयत्न किये जाने की जरूरत है, ताकि इस योजना पर अब तक हमने जितना धन लगाया है, उसका हमें जल्दी से जल्दी फायदा मिल सके। कृषि उत्पादन को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को मद्दे नजर रखते हुए खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हमारे उद्देश्य को हासिल करने में, इसके अलावा अन्य कोई योजना इससे अधिक सहायक नहीं हो सकती। इस नजरिये से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारी सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी इस नहर को शीघ्र पूरा किया जाना आवश्यक है। दुर्भाग्य से हमारे साधनों के सीमित होने के कारण इस प्रोजेक्ट पर हमें काम की गति धीमी करनी पड़ी और इस स्कीम पर व्यय के लिए जो प्रावधान 1966–67 में 5 करोड़ था, वह 1967–68 में केवल 3 करोड़ करना पड़ा। मुझे इस बात की खुशी है कि अब राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी इस प्रोजेक्ट के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है और केन्द्रीय सरकार से सम्भावित अतिरिक्त सहायता मिलने से हम इस कार्य के लिए कम से कम 1966–67 के स्तर पर प्रावधान कर सकेंगे। हम केन्द्रीय सरकार पर भी लगातार जोर डालते रहेंगे कि इस कार्य के लिए 5 करोड़ से भी अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस नहर से अधिक से अधिक सिंचाई का लाभ उठा सकें। व्यास प्रोजेक्ट पर भी भारत सरकार द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सहायता मिलने पर कार्य की प्रगति को जारी रखना सम्भव हो सकेगा।

बिजली

भाखड़ा, राइट बैंक, सतपुड़ा और राणाप्रतापसागर से अधिक बिजली मुहैया हो जाने पर न केवल कटौती की पूर्ति की जा सकेगी, बल्कि नये कनेक्शन देना भी सम्भव हो सकेगा। 1967–68 में हमें जो कुल 163 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, वह अगले वर्ष बढ़ कर 218 मेगावाट हो जाने की सम्भावना है। पिछले वर्षों में बिजली की कमी राज्य में उद्योग के विकास में मुख्य रूप से बाधक रही है और मुझे विश्वास है कि राज्य को अधिक बिजली मिलने से औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगेगी।

बिजली के क्षेत्र में आवश्यक ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के कार्य को पूरा करने और बिजली की वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर खास जोर दिया जायेगा ताकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली बिजली का उपयोग हो सके। अगले वर्ष तक चम्बल के दूसरे चरण के अन्तर्गत करीब सभी ट्रांसमिशन लाइनों का कार्य पूरा कर लिया जायेगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को आशा है कि अगले वर्ष में हिसार–खेतड़ी, जयपुर के बीच 220 के. वो. लाइन और सिरसा, हनुमानगढ़–132 के. वी. लाइन लगाने का कार्य

(श्री मथुरादास माथुर)

सम्पन्न हो जायेगा । राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट से जयपुर तक 220 के वी. डबल सर्किल लाइन के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हो सकेगी । राजस्थान सरकार इस महत्वपूर्ण लाइन को 1970–71 में एटोमिक पावर स्टेशन के चालू होने के पहले पूरा करने के लिए कटिबद्ध है ताकि जल्दी से जल्दी उससे मिलने वाला लाभ उठाया जा सके ।

राजकीय उद्योग

राज्य की समाजवादी नीति के अनुसार और गैर कर आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार निरन्तर सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाती रही है । रेकार्ड समय में बीकानेर की वूलन टेक्सटाइल मिल में उत्पादन शुरू हो गया है । सोडियम सल्फेट प्लाण्ट के विस्तार का कार्य भी निश्चित योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है । डूंगरपुर में फ्लोराइड बेनीफीशियेशन प्लाण्ट पर 1968–69 में तेजी से कार्य किया जावेगा । सहकारी क्षेत्र में बूंदी जिले के केशोरायपाटन में चीनी की मिल में अगले वर्ष तक कार्य चालू हो जाने की सम्भावना है और गुलाबपुरा में स्पीनिंग मिल का कार्य सन्तोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है ।

सड़क

सड़कों के क्षेत्र में अगले वर्ष में चार नये पुल के निर्माण का कार्य उल्लेखनीय है । इनमें दो पुल राज्य मार्ग पर बनाये जायेंगे । एक डूंगरपुर-बांसवाड़ा सड़क पर माही ब्रिज और दूसरा जहाजपुर-माण्डल रोड पर बनास नदी पर बनाया जावेगा । इनके अलावा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर भी दो पुल, एक सवाई माधोपुर-शिवपुरी सड़क पर चम्बल, नदी पर और दूसरा धोलपुर बेपाउ सड़क पर, पार्वती नदी पर बनाने का प्रस्ताव है ।

सामाजिक सेवायें

अगले वर्ष सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अब तक प्राप्त सफलताओं को सुदृढ़ करने और इनमें गुणात्मक सुधार लाने पर जोर दिया जाता रहेगा और राज्य के सीमित साधनों को देखते हुए इनमें विस्तार के कम से कम कार्य-क्रम हाथ में लेना ही सम्भव हो सकेगा । शिक्षा के क्षेत्र में 75 प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है और विज्ञान और बाइलोजी के विषय चुनी हुई 20 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में चालू करने का इरादा है । उन तीन पंचायत समितियों में जहां अभी तक सेकेण्डरी स्टेण्डर्ड की कोई स्कूल नहीं है, वहां सेकेण्डरी स्कूल खोले जायेंगे । यह भी प्रस्ताव है कि लड़कियों की 10 मिडिल स्कूलों को सेकेण्डरी स्टेण्डर्ड में परिवर्तित कर दिया जाय । अगले वर्ष जसवन्तगढ़ में आर्ट्स-कामर्स कालेज व साइन्स कालेज खोले जावेंगे । गवर्नमेण्ट कालेज अलवर में केमिस्ट्री, इकोनोमिक्स और कामर्स के विषयों में पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स प्रारम्भ किये जायेंगे । राज्य सरकार ने अगले वर्ष से भरतपुर और भीलवाड़ा के राजकीय कालेजों में विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चालू करने का निश्चय किया है । चिकित्सा के क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्य-क्रमों को अधिक व्यापक बनाया जायेगा और साथ ही डिविजनों और जिलों के अस्पतालों में सुधार किया जायेगा । इसके अलावा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम, चेचक, क्षय रोग, ट्रेकोमा आदि संचारी रोगों की रोकथाम के

(श्री मथुरादास माथुर)

कार्य किये जाने पर विशेष जोर दिया जावेगा। राज्य में फिलहाल डाक्टरों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने देहाती इलाकों में नये चिकित्सालय नहीं खोले हैं। इसके स्थान पर देहाती जनता को नये आयुर्वेद औषधालय खोल कर आवश्यक सुविधा प्रदान की गयी है। इसी नीति के अनुसार अगले वर्ष राज्य में 25 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का इरादा है। इस वर्ष लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से 2 करोड़ का ऋण न मिलने के कारण शहरी जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों को थोड़ा धक्का लगा है। अब ऐसे संकेत मिले हैं कि अगले वर्ष लगभग 9 करोड़ रुपये का ऋण मिल सकेगा, जिससे राज्य सरकार को चालू योजनाओं को पूरा करने और अधिक जल संकट वाले शहरों और कस्बों में नयी जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य शुरू करने में मदद मिलेगी। उदयपुर की जल प्रदाय योजना का विस्तार करने के लिए स्कीम बन चुकी है और इस वर्ष उस पर कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। अजमेर की जलप्रदाय योजना के पहले स्टेज का कार्य इस माह के अन्त तक पूरा हो जायेगा जिससे शहर को प्रतिदिन 38 लाख गेलन पानी की सप्लाई होने लगेगी। इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से सहायता प्राप्त करके इस स्कीम का दूसरा स्टेज का कार्य भी पूरा किया जाय, जिससे अजमेर में इस स्कीम से पानी की सप्लाई की क्षमता दुगुनी हो जायेगी।

रेगिस्तानी इलाकों में 250 ट्यूब वेल खोदने के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में कार्य की प्रगति सन्तोषजनक रही है। अब तक लगभग 140 कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा चुका है। इनमें से ट्यूब वेल अनुसन्धान संगठन द्वारा 91 कुओं को पूर्ण रूप से विकसित किया जा चुका है। 45 ट्यूब वेल चालू किये जा चुके हैं और बाकी 46 ट्यूब वेल इस वर्ष अगस्त तक चालू कर दिये जायेंगे। इन कुओं के चालू हो जाने पर रेगिस्तानी इलाकों में पीने के पानी की कमी को बहुत हद तक दूर किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त रेगिस्तानी इलाकों में 250 ट्यूब वेल प्रोग्राम के अन्तर्गत, ट्यूब वेल पूरे बन जाने के बाद, उन पर जलाशय बनाने का काम चालू किया जावेगा।

चौथी योजना

जिन परिस्थितियों में भारत सरकार को चौथी योजना को अन्तिम रूप देने के कार्य को स्थगित करने पर बाध्य होना पड़ा, उनसे माननीय सदस्य भली प्रकार परिचित हैं और उसे यहां दोहराना युक्तिसंगत भी नहीं होगा। माननीय सदस्यों को यह भी मालूम होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी पिछली बैठक में यह निर्णय लिया था कि 1969-70 से नयी चौथी योजना चालू की जाय और इसके बीच 1 अप्रेल, 66 से 31 मार्च, 1969 तक के काल को "सालाना योजना काल" माना जाय। इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद हम चौथी योजना बनाने का कार्य शुरू करेंगे और मैं आशा करता हूं कि 1969-70 के बजट के साथ, राज्य की चौथी योजना भी प्रस्तुत की जा सकेगी।

चौथी योजना को आगे सरकाने के कारण कुछ इलाकों में ऐसी धारणा बनी

(श्री मथुरादास माथुर)

जाने लगी है कि हमने "योजना से छुट्टी" ले रखी है, अथवा योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया में एक ठहराव आ गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं इस धारणा से कतई सहमत नहीं हूं। परन्तु इतना मैं जरूर मानता हूँ कि साधनों के बारे में अनिश्चित स्थिति के परिणामस्वरूप दीर्घकालीन विकास के स्वरूप में योजना को ढालना हमारे लिये सम्भव नहीं हो सका है, परन्तु यह कहना एकदम गलत होगा कि इस अवधि में हमने योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया को ही तिलांजलि दे दी। इसके विपरीत साधन सीमित होने के कारण ज्यादा गहराई में जाकर योजना बनाना और प्राथमिकताओं को अधिक स्पष्टता से निर्धारण करना सम्भव और आवश्यक हो गया था। इस तथ्य को और स्पष्ट करने के लिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस अवधि में कृषि के विकास के लिये जितना अधिक कार्य किया गया, उतना पहले कभी नहीं हो पाया था। साधनों की कमी से उत्पन्न विवशता के कारण हमें जरूरी कार्यों पर अधिक ध्यान देने और कम आवश्यक कार्यों को स्थगित करने पर बाध्य होना पड़ा। चौथी योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय इसी बात को मद्देनजर रखा जायेगा और सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नयी चौथी पांच साला योजना में हमारे उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की स्पष्ट तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। इस दृष्टि से तीन वर्षों की सालाना योजना के काल में, जिसे मैं "सुदृढ़ीकरण का दौर" की संज्ञा देना चाहूंगा हमें लाभ ही मिला है, ऐसा मानना चाहिये।

वित्त आयोग

हमारी शुरू से यह राय रही है कि चौथी योजना के लिये साधनों की यथार्थवादी ढंग से जांच करने के लिये, चौथी योजना आरम्भ होने से पहले पांचवें फाइनेंस कमीशन का गठन हो जाना चाहिए। माननीय सदस्यों को याद होगा कि राज्य सरकार के इस नजरिये का जिक्र राज्यपाल महोदय के भाषण में भी किया गया था। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार की इस राय को मान कर पांचवें फाइनेंस कमीशन का गठन कर दिया है, जो इस वर्ष सितम्बर तक अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे देगा जिससे योजना आयोग को राज्य के साधनों को यथार्थवादी ढंग से आंकने में सहूलियत होगी। नये फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति से, राज्य सरकार को भी पिछले कुछ वर्षों से अकाल की स्थिति और मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी से उत्पन्न देनदारी के कारण उसकी वित्तीय स्थिति में आये असन्तुलन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

सदन में सन् 1968-69 के बजट के तखमीने और सालाना योजना को प्रस्तुत कर देने के बाद अब मैं राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयों की माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा।

डिस्ट्रिक्ट जजों और अतिरिक्त सेशन जजों का समान केडर

राज्य की न्यायिक सेवाएं मौजूदा रूप में चार श्रेणियों में विभक्त हैं, जैसे मुन्सिफ, सिविल जज, सिविल एण्ड एडीशनल सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज।

(श्री मथुरादास माथुर)

ला कमीशन और बाफना समिति, दोनों ने ही सिफारिश की है कि सिविल एण्ड एडीशनल जजों की बिचली श्रेणी को समाप्त कर देना चाहिये और न्यायिक सेवाओं को तीन श्रेणियों में बांट दिया जाना चाहिये। हाईकोर्ट की सलाह के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य न्यायिक सेवाओं में तीन श्रेणियां रखने का निश्चय कर लिया है और सिविल एण्ड एडीशनल सेन्शन जजों का पद डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जजों के पद में मिला दिया जायेगा।

न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्‌करण

सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि संविधान की धारा 50 में निहित राज्य नीति के संचालन सम्बन्धी सिद्धान्तों पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने न्यायपालिकाओं और कार्यपालिकाओं के कार्यक्षेत्र को अलग करने की दिशा में कई कदम उठाये हैं। सन् 1962 में 56 सब-डिविजनों में इनके कार्य क्षेत्र अलग करने की एक स्कीम पर अमल शुरू किया गया था और 1965 में इसका विस्तार चार और सब-डिविजनों में किया गया। राज्य सरकार का यह विचार है कि अब समय आ गया है कि समूचे राज्य में इस सुधार को लागू कर दिया जाय। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बाकी के 22 सब-डिविजनों में भी अगले वित्तीय वर्ष से न्यायपालिकाओं और कार्यपालिकाओं के कार्य को अलग करने की स्कीम लागू करदी जायेगी।

नगर भूमिकर

विधान सभा के पिछले बजट अधिवेशन में, राजस्थान राज्य के नगर क्षेत्रों में व्यापारिक व औद्योगिक कामों के लिये उपयोग में ली जाने वाली जमीन और भवनों पर टैक्स वसूल करने के सम्बन्ध में एक बिल पेश किया गया था। बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। आम तौर पर यह राय पायी गयी कि जमीन और भवनों पर कर लगाने सम्बन्धी जितने कानून राज्य में लागू हैं, उन सबको सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिये। राज्य में खाली भूमि पर टैक्स लगाने के सम्बन्ध में अभी राजस्थान अरबन लैण्ड टैक्स एक्ट, 1964 लागू है। राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1958 की धारा 104 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से म्युनिसिपल बोर्ड एवं कौंसिल, म्युनिसिपल क्षेत्र के भीतर स्थित मकान, जमीन या दोनों के सालाना किराये की क्षमता (Letting Value) पर टैक्स वसूल कर सकती है। राजस्थान कमर्शियल एण्ड इण्डस्ट्रीयल प्रेमिसेज टैक्स बिल, 1967 को इस इरादे से वापिस ले लिया गया था ताकि मौजूदा कानूनों के प्रावधानों का एकीकरण किया जा सके और साथ में इस बिल के प्रावधानों का उसमें समावेश किया जा सके। राज्य सरकार अब राजस्थान अरबन लेण्ड टैक्स (संशोधन) बिल, 1968 सदन में पेश करने का इरादा रखती है। इस एक्ट में अतिरिक्त कर लगाने का प्रावधान रखा गया है जिससे प्राप्त होने वाली आय को टैक्स वसूल करने में खर्च होने वाली रकम को काट कर सम्बन्धित स्थानीय निकायों को दे दिया जायेगा। यह बिल जब सदन पास कर देगा तब इससे जो साधन पैदा होंगे, उनसे अपेक्षित घाटे को पूरा करने में मदद मिलेगी।

मद्यनिषेध की नीति

सरकार राज्य में मद्यनिषेध लागू करने के लिये वचनबद्ध है। इस दिशा में

(श्री मथुरादास माथुर)

पहला कदम उठाया जा चुका है जिसके फलस्वरूप गुजरात की सीमा से लगी 25 किलोमीटर की पट्टी में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार गुजरात से लगे क्षेत्रों में भी जहां परिगणित जनजातियों की घनी आबादी है, मद्यनिषेध लागू करने की इच्छुक है। इस नीति पर अमल करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों में और उदयपुर जिले की झाड़ोल, खैरवाड़ा और कोटड़ा तहसीलों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने का निश्चय किया है। सिरोही जिले में किये जा रहे मद्यनिषेध का माउण्ट आबू की म्युनिसिपल सीमा के अन्दर असर नहीं पड़ेगा और वहां विदेशी और भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री और खपत पर कोई रोक नहीं रहेगी। यह सुविधा माउण्ट आबू के हिल स्टेशन होने और पर्यटन केन्द्र होने के कारण दी गयी है। फिर भी माउन्ट आबू में देशी शराब की बिक्री व खपत पर पाबन्दी रहेगी, जिससे स्थानीय निवासियों को शराब पीने से उत्पन्न होने वाले बुरे प्रभाव से काफी हद तक बचाना सम्भव हो सकेगा।

राज्य सरकार मद्यनिषेध की नीति और उस पर कारगर ढंग से अमल करने के संबन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये एक स्थायी समिति की भी नियुक्ति करेगी। मद्यनिषेध के बारे में एक फिजा पैदा करने के सिलसिले में राज्य सरकार इस कार्य में लगे सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी देगी। इस कार्य के लिये 1 लाख की धनराशि अलग रखी जायेगी।

राज्य स्थित उद्योगों को मूल्य में तरजीह

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) सरकारी महकमों द्वारा कुटीर, लघु और बड़े उद्योगों से जितना माल खरीदा जाता है, उस खरीद पर राज्य सरकार उदारता से कीमतों में तरजीह देती रही है, परन्तु सरकारी नियंत्रित कारपोरेशन, कम्पनियों और स्वायत्त संस्थाओं द्वारा इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती है, इससे उद्योग इस सुविधा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। राज्य सरकार ने सभी सरकारी नियंत्रित कारपोरेशन, कम्पनियों और स्वायत्त संस्थाओं को यह सलाह दी है कि वे भी स्थानीय उद्योगों को सरकारी महकमों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं प्रदान करें। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि इस प्रकार कीमतों में तरजीह देने की वजह से इन संस्थानों को जो घाटा होगा उसे राज्य सरकार पूरा करेगी।

राजस्थान मिनरल एण्ड इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन

(2) कुछ अर्से से उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने और खनिज साधनों का उपयोग करने की दृष्टि से एक अलग कारपोरेशन के निर्माण का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था। श्री गजाधर सोमानी की अध्यक्षता में इस प्रश्न की बारीकी से जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था। राज्य सरकार ने इस समिति की सिफारिश को मान कर राज्य में अगले वर्ष, शुरू में 25 लाख की लागत से, राजस्थान मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रियल डवलपमेण्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

कारपोरेशन के गठन का निर्णय किया है। यह कारपोरेशन अन्य कार्यों के अलावा राज्य की औद्योगिक संभावनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और उद्योगों को आकर्षित करने के लिये उचित वातावरण तैयार करेगा। कारपोरेशन नये उद्योगों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायेगा। यह कारपोरेशन प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी करेगा और उद्योगपतियों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की अलग और विशिष्ट एजेन्सी की स्थापना से राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास हो सकेगा।

उद्योगों को रियायतें

(3) राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि नये स्थापित होने वाले उद्योगों तथा पुराने उद्योगों के विस्तार में काम में आने वाले "फेब्रिकेटिंग मेटीरियल" और निर्माण के काम आने वाले माल पर चुंगी वसूल नहीं की जायेगी। इसी प्रकार नये उद्योगों में खपत होने जाने वाले कच्चे माल तथा पुराने उद्योगों के विस्तार के फलस्वरूप खपत होने जाने वाले अतिरिक्त कच्चे माल पर भी चुंगी कर से छूट रहेगी। इससे नगरपालिकाओं को होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिये राज्य सरकार कोई दूसरा फार्मूला निकालने की तजवीज कर रही है।

(4) अभी इलेक्ट्रो-केमिकल उद्योगों में और इलेक्ट्रो थरमल उद्योगों के इलेक्ट्रो फरनेस में जितनी बिजली की खपत होती है उस पर बिजली की ड्यूटी वसूल नहीं की जाती है। सारे उद्योगों से प्रति यूनिट एक पैसे की ड्यूटी ली जाती है। राज्य सरकार ने अब निश्चय किया है कि भविष्य में नये उद्योगों पर और पुराने उद्योगों के विस्तार के फलस्वरूप काम में आने वाली अतिरिक्त बिजली पर ड्यूटी नहीं ली जायेगी।

(5) उक्त रियायत, चौथी पंचवर्षीय योजना काल के अन्त, यानी 31 मार्च, 1974 तक स्थापित होने वाले नये उद्योगों या विस्तार होने वाले पुराने उद्योगों को चालू होने की तिथि से सात वर्ष तक मिलेगी।

राज्य सरकार औद्योगिक संस्थाओं को सस्ती दरों पर जमीन देने के मामले में बहुत उदार नीति बरतती आयी है। चूंगी और बिजली की ड्यूटी के सम्बन्ध में दी जाने वाली रियायतें जिनका ऊपर जिक्र किया गया है मिलने पर हमें इसमें रत्ती भर भी शंका नहीं है कि अगले पांच वर्षों में राज्य में तेजी से औद्योगीकरण के लिये उचित आधार तैयार हो जायेगा।

एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन

राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के साझे से राज्य में एग्रो-इण्डस्ट्री कारपोरेशन की स्थापना करने का निश्चय किया गया है। इसमें एग्रोकल्चरल वर्कशाप की परिसंपत्ति राज्य का हिस्सा माना जायेगा और केन्द्रीय सरकार से उनके हिस्से के पेटे 50 लाख रुपया मिलने की उम्मीद है। यह कारपोरेशन उन्नत कृषि यन्त्रों के उत्पादन और वितरण का कार्य हाथ में लेने के साथ साथ किसानों को बड़े पैमाने पर सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे वे कृषि यंत्रों, पंपिंग सैट, ट्रेक्टर और पौधे संरक्षण के यंत्र किराये व खरीद की पद्धति (हायर पर्चेज) के अनुसार ले सकेंगे। इस कारपोरेशन की स्थापना से मुझे विश्वास

Page No. 21

(श्री मथुरादास माथुर)

है कि उन्नत कृषि औजारों को लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और हमारे किसानों द्वारा लम्बे अर्से से अनुभव की जाने वाली जरूरत काफी हद तक पूरी हो सकेगी।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का गठन

गृह निर्माण की स्कीमों के कार्य को गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार राज्य सरकारों से सिफारिश करती रही है कि उन्हें अपने अपने राज्यों में अधिनियमित हाउसिंग बोर्ड का गठन करना चाहिये। हाउसिंग बोर्ड डिपोजिट लेकर व सरकार की गारन्टी पर शेयर व डिबेन्चर जारी कर अतिरिक्त साधन जुटा सकेगा और रिवोल्विंग फण्ड होने के कारण सीमित साधनों में भी बड़े पैमाने पर गृह-निर्माण कार्य हाथ में ले सकेगा। अतः राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित हाउसिंग बोर्ड विभिन्न प्रकार की गृह-निर्माण योजनाओं के लिये ऋण देने के अलावा कम और मध्यम आय के वर्गों के लोगों के लिये बस्तियों का निर्माण कार्य करेगा और इन बस्तियों में किराये-खरीद पद्धति (हायर पर्चेज) के आधार पर व्यक्तियों को मकान देगा। राज्य सरकार इस कार्य के लिये आवश्यक कानून बनाने का इरादा रखती है।

इन्जीनियरिंग परसोनेल में बेरोजगारी की समस्या

इन्जीनियरिंग परसोनेल में फैल रही बेरोजगारी से भी हमें बड़ी चिन्ता हो रही है। यह एक देशव्यापी समस्या है और केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। तकनीकी संस्थाओं की स्थापना व उनमें भर्ती की क्षमता की योजना इस अनुमान के आधार पर तैयार की गई थी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में ज्यादा पूंजी लगाने से तकनीकी कर्मचारियों की मांग बहुत बढ़ जायेगी। परन्तु योजना के खर्च में कटौती हो जाने और उद्योगों में सुस्ती आजाने के फलस्वरूप पूर्व अनुमानों के अनुसार पूंजी का समायोजन नहीं हो सका, इससे एक तरफ इंजीनियरिंग परसोनेल की बहुलता हो गयी है और दूसरी तरफ इनकी खपत नहीं हो सकने के कारण उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बारे में हुई चर्चा के दौरान मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण इन्जीनियरों में व्याप्त विफलताओं को दूर करने के उद्देश्य से आपके सामने ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। अब मैं इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय सदन के सामने पेश कर रहा हूं।

इस समस्या के तीन स्पष्ट, परन्तु एक दूसरे से सम्बद्ध पहलू हैं। पहला दीर्घकालीन पहलू है, जिसके अनुसार हमें अगले 10 वर्षों के लिये विभिन्न प्रकार के टेक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर नये सिरे से विचार करना पड़ेगा और अभी से संस्थाओं में भर्ती की क्षमता की दुबारा जांच कर लेनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना करने की जरूरत न पड़े। राज्य सरकार 1975-76 तक मैन-पावर (जन शक्ति) की आवश्यकताओं की जांच पड़ताल के बाद इस नतीजे पर पहुँची है कि इन्जीनियरिंग कालेजों और पोलीटेक्निकों में भर्ती की क्षमता में भारी कटौती करने की आवश्यकता है। इसलिये शिक्षा के अगले सत्र से मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर

(श्री मथुरादास माथुर)

और एम. बी. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर में भर्ती की क्षमता क्रमशः 180 और 250 से घटकर 120 और 150 करदी जायेगी। पिलानी की बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी ने भी भर्ती की क्षमता में 25 प्रतिशत कटौती करना मन्जूर कर लिया है। उनको यह भी सलाह दी जा रही है कि अगले शिक्षा सत्र से भर्ती की क्षमता में और कटौती करने पर विचार किया जाना चाहिये। जहां तक पोलिटेक्निकों का सम्बन्ध है, अभी उनमें भर्ती की क्षमता 1300 है जो अगले वर्ष घटाकर 580 करदी जायेगी। दो गई पोलीटेक्निक जो 1966–67 में शुरू की गई थी, उनको अगले सत्र से बन्द कर दिया जायेगा और वर्तमान विद्यार्थियों को दूसरी संस्थाओं में भर्ती कर दिया जायेगा। स्थानीय छात्रों को इस कारण दूसरी जगह भर्ती होने से उत्पन्न कठिनाई दूर करने के लिये समुचित छात्रवृत्ति दी जावेगी।

इस समस्या के दूसरे पहलू का सम्बन्ध उन इंजीनियरिंग ग्रेजूएटों और डिप्लोमा होल्डर से है जो अभी तो राज्य सरकार की सेवाओं में हैं, परन्तु सरकार के खर्च में की जाने वाली कमी के कारण उन्हें नौकरी से हटाये जाने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों की सेवाओं का उचित उपयोग करने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि जहां तक संभव हो इंजीनियरिंग के महकमों में सब नये काम विभागीय आधार पर करवाये जायं। इसके अलावा सरकार ने राज्य की तमाम सिंचाई शक्ति का अन्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में उपलब्ध सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से एक मास्टर प्लान बनाया जा सके। इस कार्य के लिए सिंचाई विभाग की सर्वे और इन्वेस्टीगेशन शाखा का विस्तार करके सुदृढ़ बनाया जायेगा। इससे न केवल इंजीनियरों व डिप्लोमा होल्डरों को उपयुक्त नौकरी मिल सकेगी, परन्तु भविष्य के लिए दीर्घकालीन नजरिये से भी राज्य में सिंचाई साधनों के विकास की एक यथार्थवादी योजना तैयार की जा सकेगी। राज्य सरकार सिविल असिस्टेन्ट इंजीनियरों को 50,000 से अधिक आबादी वाली म्युनिसिपैलिटियों में नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ऐसी म्युनिसिपैलिटियों को इन नई नियुक्तियों पर होने वाले अधिक व्यय के लिए 50 प्रतिशत तक ग्रांट देगी। इसी तरह नगर विकास ट्रस्टों में भी जहां तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, कार्य भार को मद्देनजर रखते हुए वहां उचित ग्रेड वाले इंजीनियरों को नियुक्त करेगी। इन सब उपायों से, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, अगले वर्ष जितने इंजीनियरिंग के कर्मचारी अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित होने की संभावना है, उन सबको काम पर लगाया जाना सम्भव हो सकेगा। मैं अब सदन को स्पष्ट आश्वासन देने की स्थिति में हूं कि अभी राज्य सरकार की सेवाओं में जितने इंजीनियर और इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट लगे हुए हैं उनमें से एक को भी नौकरी से अलग नहीं किया जायेगा।

अब मैं इस समस्या के तीसरे पहलू पर आता हूं जिसका संबंध उन लोगों से है जिन्होंने हाल ही में इंजीनियरिंग संस्थाओं से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया है तथा अभी तक जिन्हें लाभप्रद नौकरियां नहीं मिल पाई हैं। योजना विभाग की

(श्री मथुरादास माथुर)

जनशक्ति (मेन पावर) शाखा में ऐसे इंजीनियरों की एक फहरिश्त रखी जावेगी, जो राजस्थान के हैं और जिन्हें नौकरी नहीं मिली है। यह विभाग लाभप्रद नौकरियां दिलाने की सुविधाएं मुहैया करेगा। सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, जन स्वास्थ्य विभागों और राज्य विद्युत् मण्डल 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों को राज्य द्वारा बनाई गई फहरिश्त में से कम से कम एक इंजीनियर को नौकरी देनी पड़ेगी और तभी उनको नये ठेके मिल सकेंगे। 'बी' श्रेणी के ठेकेदारों को भी इसी प्रकार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। इन ठेकेदारों के लिए इन इंजीनियरों और ओवरसियरों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली तनख्वाह की दरों के हिसाब से तनख्वाह देना लाजमी होगी। सरकार द्वारा संचालित कोरपोरेशन, स्वायत्त संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं के लिए भी यह लाजमी होगा कि वे इंजीनियरिंग कर्मचारियों की अपनी जरूरत सरकार द्वारा रखी जाने वाली फहरिश्त में से पूरी करें। यह निर्णय भी लिया जा चुका है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त लोगों को उदारता से ठेकेदारी के लायसेन्स दिये जायं और न्यूनतम अनुभव की शर्त पर जोर नहीं दिया जाय। इससे न केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा प्राप्त लोगों को लाभप्रद नौकरियों की सुविधा प्रदान की जा सकेगी बल्कि लाइसेन्स शुदा ठेकेदारों की निरन्तर महसूस की जाने वाली कमी भी दूर हो सकेगी। इसके अलावा जो बेकार इंजीनियर अपना खुद का उद्योग चलाना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार उनको विधिवत् जमीन, कच्चा माल, ऋण आदि की सुविधाएं दिलायगी। इन्जीनियरों को ठेके की सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और यदि वे व्यक्तिगत या सहकारी समिति के मार्फत किसी कार्य के लिये टेण्डर देंगे तो उन्हे भी लेबर कान्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटियों को अभी मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जायेंगी। सरकार राज्य की विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के लिये नियत शैक्षणिक योग्यताओं में भी आवश्यक संशोधन करेगी ताकि इंजीनियरों के लिये राज्य सेवाओं और सबोर्डिनेट सेवाओं में भर्ती का रास्ता खुल सके।

कृषि स्नातकों की बेरोजगारी

इंजीनियरी की तरह कृषि ग्रेजुएट भी बेकारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति को ज्यादा बिगड़ने से रोकने के उद्देश्य से उदयपुर युनिवर्सिटी और अन्य कालेजों को यह सलाह दी जा रही है कि वे भर्ती में यथोचित कमी करदें। राज्य सरकार ने बेकार कृषि ग्रेजुएट को 15 एकड़ सिंचित भूमि और 30 एकड़ असिंचित भूमि एलाट करने का निश्चय किया है, बशर्ते वह राजस्थान का मूल निवासी हो यह भूमि रिजर्व मूल्य में दी जायेगी और उससे उचित किश्तों में वसूल की जायेगी। सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियम बनायेगी। यह आशा है कि इस निश्चय के परिणामस्वरूप बड़ी सख्या में बेकार कृषि ग्रेजुएट खेती के काम में लगेंगे और अपने तकनीकी अनुभव से खेती की पैदावार बढ़ाने में योग देंगे।

माइनिंग इंजीनियरों में बेकारी की समस्या

खनिज (माइनिंग) इंजीनियरिंग के कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार ने सैद्धान्तिक तौर पर यह मान लिया है कि

(श्री मथुरादास माथुर)
मीज एग्रीमेण्ट में एक खास धारा जोड़कर खानों के ठेकेदारों के लिये यह जरूरी बना दिया जाय कि जो 1 लाख से अधिक का धन्धा करते हैं, उनको माइनिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएटों को नौकरी देनी पड़ेगी और एक लाख से कम का धन्धा करने वाले खानों के ठेकेदारों को माइनिंग के डिप्लोमा प्राप्त लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। ठेकेदारों को उन्हें उतना ही वेतन देना पड़ेगा जितना उनको राज्य सेवा में मिलता।

मैं आशा करता हूँ कि ऊपर बताये गये सुझावों के फलस्वरूप बेकार इंजीनियरों की कठिनाइयां भी काफी हद तक दूर हो जायेंगी। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करूंगा, जिनसे इंजीनियरिंग के डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त बेकार लोगों को अधिक राहत मुहैया की जा सके।

पिछड़ी जातियों का कल्याण

राज्य सरकार परिगणित जातियों और जनजातियों के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की अपनी विशेष जिम्मेवारी के प्रति हमेशा जागरूक रही है और इन लोगों के लिये हम अत्यधिक प्रयत्नशील रहे हैं। अपने पिछले बजट भाषण में मैंने इन जातियों के लोगों को शिक्षा सम्बन्धी दी जाने वाली महत्वपूर्ण सुविधाएं और सामाजिक सहूलियतों के बारे में घोषणा की थी। अब मैं आपको राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी देना चाहूंगा जिसके परिणामस्वरूप उनके आर्थिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति सम्भव हो सकेगी।

71. सरकार ने निश्चय किया है कि इन परिगणित जातियों और जनजातियों के जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उन्हें राजस्थान नहर के कमाण्ड एरिया में भूमि का आवंटन किया जायेगा। इस कार्य के लिये 1 लाख एकड़ भूमि रिजर्व रखी गयी है, जिसमें से प्रत्येक परिवार को 15 बीघा जमीन का आवंटन किया जायेगा। इस तरह आवंटन की गयी भूमि का मूल्य इस प्रकार वसूल किया जायेगा:—

(1) भूमि का कब्जा सौंपते वक्त 5 प्रतिशत कीमत ली जायेगी,

(2) शेष 95 प्रतिशत कीमत दस बराबर की किश्तों में वसूल की जायेगी। इस रकम की वसूली सिंचाई के लिये दिये गये पानी की सप्लाई शुरू होने के अगले वर्ष चालू हो जायेगी।

मैं सरकार के उस निश्चय को यहां फिर से दोहराना चाहता हूं कि जिन कस्बों और गांवों में अभी बिजली की सुविधा मौजूद है, वहां परिगणित जाति और जनजातियों के लोगों की सभी बस्तियों में बिजली पहुँचा दी जायेगी। पिछड़ी जातियों के कल्याण की मद में इस कार्य के लिये 10 लाख का विशेष प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव है। मुझे आशा है, अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक अधिकांश गांवों और कस्बों में यह सुविधा मुहैया करादी जायेगी।

कर निर्धारण का सरलीकरण एवं करों में रियायत

समय समय पर, व्यापार मण्डलों द्वारा बिक्री कर के निर्धारण एवं संकलन के तरीकों को सरल बनाने के लिए मांग की जा

(श्री मथुरादास माथुर)

रही है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में पहले ही कई कदम उठाये जा चुके हैं। सदन को याद होगा कि 1967–68 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय मैंने बिक्री कर के कम्पोजीशन तथा वर्ष में एक बार ही रिटर्न पेश करने के सम्बन्ध में एक योजना की घोषणा की थी। उक्त योजना को अब निश्चित रूप दे दिया गया है और अब उसे 1 अप्रेल, 1968 से लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तावित कम्पोजीशन सम्बन्धी योजना, कुछ श्रेणी के व्यापारियों पर, जिनकी बिक्री राशि 35,000) रु० वार्षिक से अधिक नहीं है, लागू नहीं होगी। यह कम्पोजीशन एक साथ दो वर्षों के लिए कुछ शर्तों पर किया जायेगा।

74 वर्तमान बिक्री कर नियमों के अन्तर्गत केवल वे ही व्यापारी जिनकी या तो कोई कर देय विक्रय राशि नहीं है, अथवा जिनकी कर देय विक्रय राशि कुल विक्रय राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, वर्ष में एक बार विक्रय राशि के रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य व्यापारियों को तिमाही रिटर्न प्रस्तुत करने होते हैं। मैं वार्षिक रिटर्न के भरने की यह सुविधा उन व्यापारियों को भी देने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी वार्षिक विक्रय राशि 50,000) रु० तक है। उन व्यापारियों को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी, जो बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (टी) के अन्तर्गत इसके लिए विकल्प देते हैं। ऐसे व्यापारियों को भी कर की राशि का भुगतान तिमाही ही करना होगा।

75. इस समय बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (टी) के अन्तर्गत केवल वे ही व्यापारी क्रय राशि के आधार पर कर चुकाने का विकल्प दे सकते हैं, जिनकी विक्रय राशि 30,000) रु० तक हो। मेरा प्रस्ताव इस सीमा को 50,000) रु० तक बढ़ाने का है।

76 इस समय क्रय करने वाले व्यापारी को अन्तिम बिन्दु पर कर लगने वाले माल तथा अन्य प्रकार के माल को खरीदने समय विभिन्न प्रकार के घोषणा-पत्र देने होते हैं। कर से विमुक्त अथवा दर में छूट प्राप्त करने के लिए ऐसे घोषणा-पत्र देना आवश्यक है। अनेक व्यापार संगठनों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि क्रय संबंधी प्रत्येक लेन-देन पर एक पृथक घोषणा-पत्र देने में काफी कठिनाई होती है। अतः अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि एक महीने में 50,000) रु० तक की खरीद के लिए एक ही संयुक्त घोषणा-पत्र दिया जावे। मैं साथ ही यह भी प्रस्ताव करता हूं कि घोषणा-पत्र की प्रतिलिपियां रिटर्न के साथ कर निर्धारण अधिकारी को न भेजी जावे, जैसा कि अभी होता है। ऐसे घोषणा-पत्र अब व्यापारी की सुविधानुसार कर-निर्धारण अधिकारी को कर-निर्धारण समय से पूर्व अथवा कर-निर्धारण के समय प्रस्तुत किये जा सकेंगे। व्यापारियों को उनके रिटर्न के साथ इस प्रकार घोषणा-पत्र के आधार पर किये गये बेचान का विवरण देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की सुविधा उन्हें केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के घोषणा-पत्र पर भी दी जावेगी।

77. मैं आशा करता हूं कि कर एकत्रित करने के तरीके में उपरोक्त तथा कुछ और सुविधाओं का, जो अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावित होंगी, व्यापारियों द्वारा विशेष कर, छोटे व्यापारियों द्वारा स्वागत होगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

78. पिछले वर्ष 29 मई, 19 7 को मोटर गाड़ियों, ट्रकों तथा बसों पर, जिसमें उनके चेसिस तथा बाडियां शामिल हैं, बिक्री कर की दर 5 प्रतिशत कर दी गई थी तथा अन्य प्रकार की मोटर गाड़ियों तथा सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त भाग व उप-सहायकों (Accessories and spare parts) पर 2 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई थी। कर में यह वृद्ध उस समय बाजार की परिस्थिति को ध्यान में रख कर आवश्यक समझी गई थी। यह भी आशा की गई थी कि पड़ौसी राज्य भी मोटर गाड़ियों पर इसी प्रकार की दर में वृद्धि करेंगे। माननीय सदस्यों द्वारा पिछले बजट सत्र में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रख कर मोटर कारों, ट्रकों और बसों पर 11 जुलाई, 1967 से कर को दर को घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया था। हमें आशा थी कि पड़ौसी राज्य कर की दरों में आवश्यक वृद्धि करेंगे, किन्तु यह पूरी नहीं हुई। केवल मध्य प्रदेश ने ही मोटरवाहनों पर कर की दर में वृद्धि की, वह भी केवल 11 प्रतिशत तक ही। अन्य पड़ौसी राज्यों में कर की दर पूर्ववत 10 प्रतिशत ही रही। हमारे राज्य तथा अन्य प्रान्तो में करों की दरों में अन्तर होने के कारण, राजस्व में अनुरूप लाभ हुए बिना, मोटरवाहनों की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न पर सभी पहलुओं से विचार करने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूं कि मोटर वाहनों पर राजस्थान तथा अन्य पड़ोसी राज्यों की बिक्री कर की प्रचलित दरों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, मध्यप्रदेश सरकार ने कुछ ही दिन पूर्व, इन सामग्रियों पर बिक्री कर की दर 11 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करदी है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर, मैं मोटर गाड़ियों (मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों सहित) इनके अतिरिक्त भाग तथा उपसहायक मोटर गाड़ियों के टायर व ट्यूब एवं मोटर की बॉडी आदि पर बिक्री कर की दर कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आशा करता हूं कि गत वर्ष कर वृद्धि से इस व्यापार पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वह इस राहत से दूर हो जायेगा।

79. 1 नवम्बर 1965 तक, जवाहरात की बिक्री, बिक्रीकर से मुक्त थी। इस तारीख से, इनकी बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया गया था। जौहरियों द्वारा कुछ कठिनाई अनुभव किये जाने पर जवाहरात को काटने एवं तराशने के लिये जवाहरात की बिक्री कुछ शर्तों पर बिक्री कर से मुक्त करदी गई था। जवाहरात के स्थानीय व्यापार के निर्यात के क्षेत्र में विशेष स्थान को देखते हुए निर्यात के लिये राजस्थान के व्यापारियों के लिए जवाहरात की बिक्री पर बिक्री कर की दर 2 प्रतिशत करदी गई। यहां मैं यह स्पष्ट करदूं कि सीधे निर्यात किये जाने वाले माल पर कर देय नहीं है। विविध घोषणा पत्र देने तथा इस प्रकार के घोषणापत्रों को देने के लिये विभिन्न लेखा रखने की कठिनाइयों के सम्बन्ध में जौहरियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। व्यापारियों का यह कहना है कि जिस विशेष उद्देश्य से यह माल खरीदे जाते हैं वह उद्देश्य घोषणा-पत्र में निश्चित रूप से नहीं दिये जा सकते हैं और कभी कभी इससे

(श्री मथुरादास माथुर)

दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इस सम्बन्ध में जौहरियों के प्रतिवेदनों तथा विभिन्न संभव समाधानों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद मैं यह अनुभव करता हूं कि इस समस्या का उत्तम समाधान यही है कि एक बिन्दु पर ऊंची दर से प्रचलित करारोपण करने के स्थान पर कर का भार नीची दर पर बहु-बिन्दुओं पर फैला दिया जावे। प्रस्तावित बहु-बिन्दु कर पद्धति में खरीद करने वाले व्यापारी को क्रय करते समय क्रय उद्देश्य की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उसे किसी प्रकार के घोषणा-पत्र देने की भी जरूरत नहीं होगी। इससे लेखा पद्धति भी सरल हो जावेगी। अतः मैं जवाहरात पर और मोती पर एक प्रतिशत की दर से बहु-बिन्दु कर का प्रस्ताव रखता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कर का वास्तविक संग्रहण इस प्रकार के व्यापारियों से एक मुश्त में निम्न दरों से किया जावे:—

(1) रु. 5000 से अधिक किन्तु रु. 10,000 तक की वार्षिक विक्रय राशि के लिए रु. 25)

(2) रु. 10,000 से अधिक किन्तु रु. 20,000 तक की वार्षिक विक्रय राशि के लिए रु. 100)

(3) रु. 20,000 से अधिक किन्तु रु. 40,000 तक की वार्षिक विक्रय राशि के लिए रु. 200)

(4) रु. 40,000 से अधिक किन्तु रु. 60,000 तक की वार्षिक विक्रय राशि के लिए रु. 400)

(5) रु. 60,000 से अधिक किन्तु रु. 80,000 तक की वार्षिक विक्रय राशि के लिए रु. 600)

(6) रु. 80,000 से अधिक किन्तु 1 लाख तक की वार्षिक विक्रय राशि के लिए रु. 800)

(7) 1 लाख से अधिक वार्षिक विक्रय राशि के लिए:—

(अ) प्रथम एक लाख के लिए रु. 800)

(ब) एक लाख से अधिक, प्रत्येक रु. 25,000 अथवा उसके भाग के लिए रु. 200)

इस प्रकार की एकमुश्त राशि निकालने के लिए विक्रय राशि में वह क्रय राशि जो धारा 5 (इ) में कर योग्य है, सम्मिलित की जायेगी। मैं इस कर वसूली के लिए बिक्री कर अधिनियम में संशोधन हेतु आवश्यक विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव से व्यापार को काफी राहत मिलेगी और साथ ही राजस्व का हित भी सुरक्षित रहेगा।

80. अपने राज्य में कुछ विशेष श्रेणियों के निर्माताओं को भी कुछ आवश्यक राहत देना मैं उचित समझता हूं। ऊनी कालीन बनाने का धागा (Woollen carpet yarn) बनाने का उद्योग अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इस प्रकार के धागे पर हमारे राज्य में अन्तर-राज्य बिक्री कर 3 प्रतिशत है, जब कि पंजाब में जहां यह उद्योग जम चुका है, ऐसी बिक्री पर केवल 1 प्रतिशत कर है। अतः मैं ऊनी कालीन बनाने के

Page No. 28

(श्री मथुरादास माथुर)

धागे पर अन्तर-राज्य बिक्री कर की दर 3 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

81. इस समय प्रत्येक निर्माता जिसकी विक्रय राशि रुपये 5,000 वार्षिक से अधिक है, बिक्री कर देने को बाध्य है। कुम्हारों, अर्थात् हाथ से मिट्टी के बर्तन तथा ईंट बनाने वालों, ठठेरों, अर्थात् हाथ के बने बर्तनों के निर्माताओं तथा खातियों, अर्थात् हाथ से लकड़ी का सामान बनाने वालों के सम्बन्ध में, मैं यह सीमा रु. 5,000 से बढ़ा कर रु. 10,000 करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं पान तथा लगे हुए पान को बिना किसी शर्त के बिक्री कर से मुक्त करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

82. बच्चों के लिए ताजे एवं पौष्टिक दूध के अभाव में समाज के धनिक वर्ग के अलावा अन्य वर्गों को भी बच्चों को पिलाने के लिए डिब्बों का दूध काम में लाना पड़ रहा है। मै बच्चों के लिए विटामिन युक्त डिब्बों में बन्द दूध आहार पर बिक्री कर की वर्तमान दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

83. इस वक्त फर्टीलाइजर व खाद बिक्री कर से मुक्त हैं मगर पौध तथा फसल संरक्षण के लिये पेस्टोसाइड तथा फंगीसाइड पर 6 प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता है। कृषि उत्पादन को पौध संरक्षण द्वारा बढ़ावा देने के लिये मैं इस कर को 6 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

84. सरकार का सदैव ही यह प्रयास रहा है कि जहां तक सम्भव हो विद्यार्थियों को अपने निवास के पास ही शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध करायी जावें किन्तु अब भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां उच्च शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध नहीं है तथा इन गांवों के विद्यार्थियों को बस द्वारा दूसरे किसी गांव अथवा शहर में प्रतिदिन शिक्षा के लिये जाना होता है। मैं ऐसे विद्यार्थियों द्वारा बस में की गई अन्य गांव अथवा शहर को शिक्षण संस्था तक आने जाने की यात्रा को यात्री-कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

छोटी जोतों के सम्बन्ध में नीति

85. माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार ने छोटी जोतों वाले काश्तकारों को भू-राजस्व चुकाने के सम्बन्ध में छूट दे रखी है। सरकार ने इस प्रश्न पर काफी सोच-विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष से यह छूट समाप्त कर दी जायेगी और सब तरह के काश्तकारों से पूरा भू-राजस्व वसूल किया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न पर संकुचित दलगत व राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राज्य के व्यापक हित की दृष्टि से विचार करें।

8 . मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य मेरे भाषण के उस हिस्से का, जिसमें आम-तौर पर नये कर प्रस्तावों का जिक्र होता है, उत्सुकता से इन्तजार कर रहे हैं। मैं आपके इस सस्पेन्स (Suspense) को ज्यादा देर तक कायम नहीं रखना चाहता। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले वर्ष के लिये मैं कोई नये करों का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

(श्री मथुरादास माथुर)

87. मुझे आशा है, कि बजट में जो 63 लाख रुपये का मामूली घाटा दिखायी देता है, हमारी मंहगाई भत्ते सम्बन्धी देनदारी में कुछ कमी होने और प्रस्तावित भूमि कर अधिनियम से अपेक्षित अतिरिक्त आय से, उसकी पूर्ति हो सकेगी।

88. श्रीमान् अब मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। मैंने सदन के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर रखने का प्रयास किया है। इससे पहिले कि राज्य की अर्थव्यवस्था आत्म निर्भर बन सके और विकास के लिये अधिक साधन पैदा कर सके, उसे विभिन्न तरह के परीक्षणों और कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ेगा—परन्तु इसकी वजह से निराशा या क्षोभ का कोई कारण नहीं है। इस वर्ष अच्छी कृषि पैदावार की सम्भावनाओं से हमारी अर्थ-व्यवस्था के पुनरुत्थान की प्रवृति को अवश्य ही बल मिलेगा। मैंने बचत व पूंजी के नियोजन के लिये फिजा बनाने की उम्मीद से एक तरफ नये कर नहीं लगाये हैं और दूसरी तरफ उद्योगों व व्यापार को काफी रियायतें दी हैं। मुझे विश्वास है कि इससे अर्थ-व्यवस्था के पुनरुत्थान में गति आयेगी तथा राज्य के घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

89. अर्थ व्यवस्था में सुधार के साथ साथ हमको विश्वास व स्थिरता का वातावरण पैदा करना है जिसके जरिये ही जनता की शक्ति को रचनात्मक मोड़ मिल सकता है। माननीय सदस्य इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अतः मुझे विश्वास है कि सदन की शुभकामनाओं और जनता के सहयोग से हम अपने सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों के रचनात्मक सुझावों से मुझे लाभ मिलेगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन सुझावों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायेगा।

90. इस अवसर पर मैं उन सब के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा जिन्होंने बजट तैयार करने के कार्य में सहयोग दिया है।

91. श्रीमान् इन शब्दों के साथ मैं सन् 1968-69 के बजट तखमीनों को सदन के समक्ष विचार एवं स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

जय हिन्द

विधायी कार्य

राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधयक, 1968

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.24 पर शनिवार दिनांक 9-3-68 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की गई)

शुद्धि-पत्र

(दिनांक 8 मार्च, 1968)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
7	14	मैं	में
8	8	मु ाबले	मुकाबले
8 अन्तिम से	3	स्थापत	स्थापित
12 „	11	माननाय	माननीय
13	3	निममों	नियमों
19	12	सिंकिक	सिंकिंग
29	11	बाढ़ाने	बढ़ाने
55 अन्तिम से	11	वतमान	वर्तमान

———